

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त, 2018 को राज्य के सभी नगर निगम शहरों के माननीय विधायकगण, माननीय महापौर/उप महापौर, नगर आयुक्तों, संबंधित डुडा के कार्यपालक अभियंताओं एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त, 2018 को राज्य के सभी नगर निगम शहरों के माननीय विधायकगण, माननीय महापौर/उप महापौर, नगर आयुक्तों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विमर्श हेतु विभागीय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार तथा संबंधित सभी माननीय विधायकगण, महापौर/उपमहापौर एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. बैठक के प्रारंभ में माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि शहर को सुन्दर, सुनियोजित विकास एवं स्वच्छ बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।
3. माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी शहरों के सुनियोजित विकास एवं शहरों को किस प्रकार सुंदर एवं स्वच्छ बनाया जाय, इस पर विशेष बल दिया गया। बताया गया कि शहरों के महापौर/वार्ड पार्षद, शहर के विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं और इनसे अपेक्षा की गयी कि शहरों को सुन्दर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायकगण एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
4. माननीय मंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि सभी नगर निगम शहरों में EESL के माध्यम से एल.ई.डी. लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वार्डवार डिजीजन निर्धारित कर लाइटों का अधिष्ठापन कराया जा रहा है।
5. नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि शहरों के सिवरेज का पानी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में नहीं गिरे, यह सुनिश्चित किया जाय।
6. माननीय मंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि पटना शहर में waste to energy plant का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कचरा से बिजली उत्पादन हो सकेगी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। waste to energy plant के निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है और एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह भी बताया गया कि ठोस कचरा प्रबंधन के तहत मुजफ्फरपुर में कचरा से खाद बनाने का काम शुरू हो गया है। इस मॉडल को दूसरे निकाय भी अपना रहे हैं और मुंगेर एवं बोधगया में इसका कार्य चल रहा है। नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि इस मॉडल के अनुरूप ठोस कचरा प्रबंधन के तहत शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
7. बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गयी कि राज्य के नगर निकायों में पारम्परिक शवदाह गृह के निर्माण हेतु गोरखपुर में शवदाह के लिए अधिष्ठापित मॉडल के आधार पर कम लकड़ी की खपत पर या अन्य fuel से एवं वायु प्रदूषण रहित शवदाह गृह के निर्माण हेतु विभाग स्तर से

कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए EOI प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर नगर निकायों को संसूचित किया जाएगा।

8. बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रधान सचिव द्वारा सर्वप्रथम विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति/स्थिति से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। यह जानकारी दी गयी कि वर्तमान में बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद, डुडा एवं बुडा को merge करके बुडको में समाहित करते हुए विभाग का एक मजबूत अभियंत्रण संगठन के गठन की कार्रवाई की जा रही है, जिसपर मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। merger के उपरांत अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया सरल हो जाएगी और शीघ्र ही बुडको द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति करके सभी शहरी स्थानीय निकायों में एवं अन्य स्तरों पर अभियंताओं की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी।
9. इस संबंध में भी अवगत कराया गया कि विभाग स्तर से नगर निकायों में राजस्व एवं स्वच्छता से संबंधित कर्मियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है और इस हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है, जिसपर शीघ्र ही मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, जिसके फलस्वरूप नगर निकायों में अतिरिक्त कर्मियों की उपलब्धता हो सकेगी।
10. **नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना** – यह जानकारी दी गयी कि नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में ई०-टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाना है। इस योजनांतर्गत सभी 12 नगर निगम शहरों के 77523 घरों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें 2230 योजनाओं की निविदा का प्रकाशन हो चुका है और अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक आच्छादन हो गया है तथा वर्ष 2019-20 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति किया जाना निर्धारित है। सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि वर्ष 2019-20 तक लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।
11. **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना** – इस संबंध में जानकारी दी गयी कि सभी 12 नगर निगम शहरों में से 07 नगर निगम शहरों को ओ०डी०एफ० घोषित किया गया है, जिसमें 04 नगर निगमों यथा बिहार शरीफ, बेगूसराय, आरा एवं भागलपुर, भारत सरकार के थर्ड पार्टी एजेंसी (QCI) द्वारा ओ०डी०एफ० के रूप में प्रमाणित है। राज्य के 12 नगर निगम शहरों में 7,60,638 घरों के विरुद्ध वर्तमान में 7,37,695 घरों में शौचालय उपलब्ध है, जो कि 97 प्रतिशत है। जिनके पास शौचालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, वैसे 23078 परिवारों के लिए Community Toilet के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 1018 Community Toilet का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और 332 Community Toilet का निर्माण कार्य प्रगति में है। इसके तहत सभी परिवारों को एक-एक शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि शत-प्रतिशत शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ओ०डी०एफ० घोषित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।
12. **प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना** – जानकारी दी गयी कि PMAY योजना के कार्यान्वयन हेतु कंसल्टेंट रखा गया है और इनके माध्यम से डिमाण्ड सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में आवास निर्माण हेतु लाभार्थियों को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजनांतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असर्वेक्षित भूमि रहने के कारण वैसे लाभार्थी, जिनके पास भूमि के स्वामित्व संबंधी कागजात आदि उपलब्ध नहीं है और उस भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा है, कोई विवाद नहीं है तथा लाभुक द्वारा नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स भी उस भूमि पर दिया जा रहा है, वैसे लाभुकों को असर्वेक्षित भूमि पर BLC घटक के अंतर्गत आवास का लाभ दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि सभी पात्र लाभार्थियों के आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

13. DAY-NULM – जानकारी दी गयी कि इस योजना के SM&ID घटक के अंतर्गत SHG का निर्माण किया जाना है, जिसमें बिहार शरीफ, बेगूसराय एवं कटिहार नगर निगम की प्रगति अच्छी है। इस योजनांतर्गत निकाय स्तर पर एक Community Organiser का चयन किया जाना है, लेकिन इस संबंध में प्रगति असंतोषजनक है। इस योजनांतर्गत SUH घटक में बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया एवं पूर्णियां में SUH का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तृतीय तल तक का कार्य हुआ है एवं civil work किया जाना बाकी है। बेगूसराय में जमीन उपलब्ध नहीं है, जमीन उपलब्ध होने पर निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

इस योजना के SUSV घटक में स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे कराया गया है और वेण्डिंग जोन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सभी नगर निकायों को पूर्व से निर्देशित है। भागलपुर एवं आरा नगर निगम से वेण्डिंग जोन का एक-एक प्लान विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति दे दी गयी है। EST&P घटक के अंतर्गत निकाय स्तर पर BSDM के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके उपरांत Placement की भी व्यवस्था की जा रही है।

14. स्मार्ट सिटी मिशन – जानकारी दी गयी कि केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत राज्य के 4 शहरों यथा भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ का चयन किया गया है। इन शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए PMC का चयन हो गया है।

माननीय मंत्री द्वारा नगर आयुक्त, भागलपुर को निर्देश दिया गया कि चूंकि भागलपुर शहर का चयन राज्य में सर्वप्रथम हुआ है, अतः अन्य शहरों की अपेक्षा भागलपुर नगर निगम, योजना के कार्यान्वयन में आगे रहे, इसे सुनिश्चित करेंगे।

15. श्री प्रेम कुमार, माननीय कृषि मंत्री, बिहार द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, महापौर, उप महापौर का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि सभी नगर निगम शहरों में अच्छा काम हो रहा है। इस राज्य के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शहरों में पेयजल, शौचालय निर्माण, नाली-गली निर्माण योजना के संबंध में कहा गया कि विभाग के लगातार प्रयास एवं योजनाओं की प्रगति के कारण शहरों में बदलाव आया है और मास्टर प्लान के तहत शहरों के सुनियोजित विकास किये जाने हेतु कहा गया ताकि आबादी के अनुसार योजना बनाकर कार्यान्वयन हो और शहर सुसज्जित हो सके।

माननीय मंत्री द्वारा कहा गया कि केन्द्र सरकार द्वारा गया शहर को हृदय योजना में शामिल किया गया है और राशि भी उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना में राशि खर्च नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि नहीं मिल रही है और योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में विभाग स्तर से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गया शहर में वर्तमान में ग्राउंड लेवल के पानी का उपयोग हो रहा है, जिससे भविष्य में पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इनके द्वारा गया शहर में पेय जलापूर्ति के लिए गंगा नदी के पानी से surface water की व्यवस्था करने की आवश्यकता बतायी गयी। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि गया शहर में पानी की समस्या और उसके निदान के उपाय के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

माननीय कृषि मंत्री द्वारा गया शहर के विकास के लिए एक दिन विशेष बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया, जिसमें गया शहर के सभी माननीय विधायकगण, महापौर एवं उप महापौर को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाय।

16. श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा, दरभंगा क्षेत्र द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी माननीय मंत्रिगण, विधायकगण, महापौर, उप महापौर का धन्यवाद ज्ञापन किया गया और यह बैठक बुलाये जाने के लिए माननीय विभागीय मंत्री को धन्यवाद दिया गया। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस तरह की बैठकें प्रत्येक 3 माह में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जाय ताकि शहरों में व्याप्त समस्या का निराकरण संभव हो सके।

इन्होंने EESL द्वारा अधिष्ठापित किये जा रहे एल०ई०डी० लाईट के संबंध में प्रतिवेदित किया कि इस हेतु 5 core cable या एल०ई०डी० लाईट के लिए अलग से 1 core cable लगाने हेतु ऊर्जा विभाग के साथ विभाग स्तर से समन्वय/बैठक कर इसकी व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया।

इनके द्वारा SWM हेतु समयबद्ध योजना तैयार कर कार्यान्वयन का निर्देश सभी नगर निगम शहरों को दिये जाने अनुरोध किया गया ताकि इसका कार्यान्वयन सुनियोजित तरीके से हो सके। इनके द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहर में राज्य योजनांतर्गत वार्ड सं०-8 एवं 9 में नल-जल योजना का कार्यान्वयन किया गया है, लेकिन वार्ड-9 में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसका कारण बताया गया कि पूर्व में 450 घरों में आपूर्ति के लिए 6 ईंच के पाईप से नियमित रूप से जलापूर्ति हो रही थी, लेकिन अब 1450 घरों के लिए 4 ईंच के पाईप से जलापूर्ति का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण पानी की उपलब्धता सभी घरों में नहीं हो पा रही है।

इनके द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहर में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु लगभग 10 माह पूर्व निविदा प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सम्राट अशोक भवन में बिजली आदि की व्यवस्था से संबंधित मामला विभाग स्तर पर लंबित है। माननीय विभागीय मंत्री इस संबंध में विभाग स्तर से शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

इनके द्वारा दरभंगा शहर में एक टाउन हॉल के निर्माण का भी अनुरोध किया गया।

माननीय विधायक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हराही पोखर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 4 वर्ष पूर्व किया गया था और उसकी निविदा भी प्रकाशित हो गयी है, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।

इनके द्वारा अंत में शहर को स्वच्छ बनाने एवं प्रत्येक 3 माह में एक बार इस तरह की बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

17. श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा, कटिहार क्षेत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कटिहार शहर में जलजमाव की समस्या है तथा इन्होंने कटिहार एस०टी०पी० योजना का शीघ्र कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया।

इन्होंने कटिहार बस स्टैण्ड के संबंध में प्रतिवेदित किया कि 2 वर्ष पूर्व बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक बस स्टैण्ड से बसों का परिचालन नहीं हो पाया है और इसे शीघ्र कार्यरत करने का अनुरोध किया गया।

इनके द्वारा शहरी अभियंत्रण संगठन को शीघ्र मजबूत करने का अनुरोध किया गया ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति हो सके।

कटिहार में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित करने का अनुरोध किया गया। यह सुझाव दिया गया कि कटिहार शहर के व्यवसायिक वर्ग के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित किया जाय और स्वच्छता के कार्य में जो बेहतर कार्य करते हैं, उन्हें होल्डिंग टैक्स आदि में छूट का प्रावधान किया जाय।

18. महापौर, बेगूसराय नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बेगूसराय बस स्टैंड का भवन बुडको द्वारा बनाया गया था, जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इसे शीघ्र कार्यरत करने का अनुरोध किया गया।

इनके द्वारा कहा गया कि AMRUT योजनांतर्गत बेगूसराय में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है तथा बेगूसराय में पूर्व से 09 वाटर टॉवर हैं एवं 09 ट्यूबवेल अधिष्ठापित हैं एवं नए योजना के कार्यरत होने में अभी समय लगने की संभावना है। अनुरोध किया गया कि बेगूसराय शहर में पूर्व से अधिष्ठापित क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाईपलाईन को तत्काल बदल देने से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी।

इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में बेगूसराय शहर में पदस्थापित डुडा के कार्यपालक अभियंता, सहरसा जिले के भी प्रभार में हैं, जिसके कारण वे बेगूसराय में पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। अनुरोध किया गया कि बेगूसराय में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता को पूर्ण रूप से बेगूसराय में ही पदस्थापित रहने दिया जाय।

इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य हेतु बेगूसराय में जो एजेंसी प्रतिनियुक्त है, उनका भुगतान नहीं होने के कारण वे कार्य नहीं कर रहे हैं और योजना का कार्य बाधित है।

इनके द्वारा वेण्डिंग जोन के लिए जमीन के क्रय हेतु विभाग से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

19. श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कुम्हारर क्षेत्र द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी माननीय मंत्रिगण, विधायकगण, महापौर, उप महापौर का धन्यवाद ज्ञापन किया गया और इस तरह की बैठक बुलाये जाने के लिए धन्यवाद दिया गया। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना शहर में जलजमाव की भयंकर समस्या है और इसके निदान के लिए प्रत्येक 15 दिनों पर अथवा माह में एक बार निश्चित रूप से इस तरह की बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया, जिसमें जलजमाव की समस्या के निराकरण के उपायों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मीठापुर-नंदलाल छपरा के नाला निर्माण का कार्य लंबी अवधि से बंद रहने के कारण कार्य अधूरा है। इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधितों के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया गया।

यह भी प्रतिवेदित किया गया कि पटना शहर में कई स्थानों पर बॉस के सहारे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जो अत्यंत ही खतरनाक और जानलेवा है। इससे संबंधित विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

इनके द्वारा वार्ड-55 अंतर्गत निर्माणाधीन सम्प हाऊस के निर्माण कार्य में तेजी लाने और धनुकी मोड़ सम्प हाऊस की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

इन्होंने पटना स्मार्ट सिटी से संबंधित आयोजित होने वाली बैठकों में माननीय विधायकगण को भी आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया ताकि इसके कार्यान्वयन पर सुझाव

20. माननीय उप महापौर, गया नगर निगम द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी माननीय मंत्रिगण, विधायकगण, महापौर, उप महापौर का धन्यवाद ज्ञापन किया गया और इस तरह की बैठक प्रत्येक 3 माह

में दो दिवसीय बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया ताकि नगर निगमों के कार्य का फलाफल अच्छा हो।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक- 4792 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 05/09/18

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कुम्हार निर्वाचन क्षेत्र, 01, छज्जुबाग, पटना/श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक, दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र, 03, बंदर बगीचा, पटना/डॉ० सुनील कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बिहारशरीफ निर्वाचन क्षेत्र, मुहल्ला-आशानगर, पो०-सोहसराय, जिला-नालन्दा/श्री नितिन नवीन, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र, 02 बंदरबगीचा, पटना/श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, कटिहार निर्वाचन क्षेत्र, बी०-3/40, बेली रोड, पटना/श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र, शिव भवन कैम्पस, एस०एस० साया रोड, थाना-इशाकचक, जिला-भागलपुर/श्री संजीव चौरसिया, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, दीघा निर्वाचन क्षेत्र, आर्य भवन, मुंदर साहा कोल्ड स्टोरेज, पो०-बी०एन० कॉलेज, पटना/मो० नवाज़ आलम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, आरा निर्वाचन क्षेत्र, A-03/11, बेली रोड, पटना/श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, पूर्णियां निर्वाचन क्षेत्र, ब्लॉक-ए-102+203, दा०प्र०राय पथ, पटना/डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, छपरा निर्वाचन क्षेत्र, भगवान बाजार, छपरा/श्रीमती अमिता भूषण, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र, स्वामी विवेकानन्द पथ, पो०-प्रधान भागलपुर, जिला-भागलपुर/श्री विजय कुमार विजय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र, मुहल्ला-हाजी सुजान (दिलवारपुर), पो०+जिला-मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 4792 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 05/09/18

प्रतिलिपि :- सभी नगर निगमों के महापौर एवं उप महापौर/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (01 एवं 02)/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर, पूर्णियां, कटिहार, दरभंगा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा, गया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 4792 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 05/09/18

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/विभागीय मुख्य अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/Team Leader, MIS Cell/ Team Leader, SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।